

// कार्यालयीन आदेश //

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-2/2019/55-2 दिनांक 06.05.2020 द्वारा शा.स्व.म. गाँ.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। म.प्र. शासन द्वारा स्थापित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी शैक्षणिक संवर्ग के लिए आदर्श सेवा नियम-2018 के अंतर्गत सह-प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 27.07.2021 एवं 28.07.2021 को आयोजित साक्षात्कार उपरांत चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित सह-प्राध्यापक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विषय में सह-प्राध्यापक सुपर स्पेशलिटी के पद पर अनन्तिम (Provisionally) रूप से निश्चित वेतन रूपये 2,50,000/- प्रतिमाह (Monthly Lumpsum Fixed pay Rs. 2.50 Lakhs) पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित वर्णीत शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	पद	विभाग
1	डॉ. अर्पण चौधरी	अनारक्षित	सह प्राध्यापक	युरोलॉजी
2	डॉ. राकेश डावर	अनारक्षित	सह प्राध्यापक	प्लास्टिकरिकान्सट्रक्टिव सर्जरी
3	डॉ. राम मोहन शुक्ला	अनारक्षित	सह प्राध्यापक	पिडियाट्रिक सर्जरी
4	डॉ. निमीश जैन	अनारक्षित	सह प्राध्यापक	एनेस्थेसिया

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा। इस आशय का नोटराईज्ड शपथ प्रस्तुत करना होगा।
4. वार्षिक वेतन वृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी।
5. चिकित्सा शिक्षक को 01 वर्ष की सेवा देने के लिये बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा। 01 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे 06 माह का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संस्था में जमा करना होगा। जमा न करने कि दशा में बकाया राशि संबंधित से भु राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसुली योग्य होगी। इस बाबत सम्यक रूप से रूपये 1000/- का स्टांपित बॉण्ड ( नोटरी द्वारा सत्यापित ) कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
6. चयनित प्रत्याशी को शासकीय महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय /अशासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय / शासकीय सेवा /अशासकीय सेवा से त्याग पत्र देना होगा।
7. साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 04 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताए सेवा समाप्त कर सकेगी।
8. चयनित प्रत्याशी को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय समय पर सोपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा। अवकाश आचरण एवं अर्धवार्षिकीय के संबंध में मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे। शेष शर्त मध्य प्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 में निहित है वे लागू होगी।
9. आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
10. एक बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
11. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपि/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
12. उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र सहित) उपाधियां एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां स्वप्रमाणित कर जमा करना होगी।
13. चयनित प्रत्याशी के विरुद्ध म.प्र. शासन एतद द्वारा राज्य शासन द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नियम में उल्लेखित दशाओं में अनुशानात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
14. चयनित प्रत्याशी का पी.एम.टी./ युजी/ फ़ीजी/ सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में अवैध रूप से चयन संबंधित प्रकरण में किसी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन/लंबित नहीं होने का सत्यापन देना होगा, इसके पश्चात ही वेतन आहरण होगा। यदि चयनित प्रत्याशी उपरोक्त परीक्षाओं में संलिप्त/ दोषी पाये जाते हैं तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
15. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है। भविष्य में पुलिस वेरिफिकेशन/ चरित्र सत्यापन के पश्चात प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाये समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार कि जावेगी।
16. पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधित समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के लिये शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/ पदोन्नतियों रहेगी।
17. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
18. आपकी नियुक्ति सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
19. संस्था में नियुक्त किसी भी चिकित्सा शिक्षक को राजनैतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

20. सेवा अवधि में नियुक्त उम्मीदवार के कदाचरण संबंधी कार्यवाही म.प्र. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत की जावेगी।
21. यह नियुक्ति म.प्र. उच्चन्यायालय में अ.पि.वर्ग के आरक्षण के संबंध में लंबित याचिका में पारित अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शा.स्व.म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर  
इन्दौर, दिनांक 14/8/2021

पृ.क्रमांक /12321-29/स्था/सुपरस्पेशलिटी/स्व/2021  
प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अध्यक्ष कार्यपरिषद शासकीय स्वशासी म.गॉ.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
4. संचालक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इन्दौर
5. प्रभारी संचालक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इन्दौर।
6. अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड स्वशासी संस्था एवं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मेडिसिन म.यं.चि. इन्दौर।
7. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित सह- प्राध्यापक की ओर।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शा.स्व.म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर